


280



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. का.ल.प. 404

14-18-I-15

प्रकरण क्रमांक: /2015 पुनरीक्षण

य. के. श्रीवास्तव, भा.प.  
द्वारा आज दि. 18-12-15 को  
प्रस्तुत  
क.प. 15  
राजस्व मण्डल म.प्र. का.ल.प.

श्रीमती सियाबाई पत्नी श्री वीर सिंह आयु 54 वर्षा, जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भवली हा.मु. ऐलिया जी वाली गली वार्ड नं. 3, सुभाष चौक गंज बासीदा, जिला विदिशा --निगरानीकर्ता

बनाम

जवाहर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हिम्मत सिंह जी रघुवंशी आयु 52 वर्षा जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भवली हा.मु. वार्ड नं. 14, शिवनगर, त्योंदा रोड, गंज बासीदा म.प्र. --रेस्पोंडेंट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू - राजस्व संहिता विरुद्ध दिनांक 12.12.2015 न्यायालय अतिविभागीय अधिकांशकारी राजस्व बासीदा जिला विदिशा प्रकरणक्रमांक 79/ अपील 2014-15 व उन्वान जवाहर सिंह बनाम श्रीमती सियाबाई से व्यक्तिगत होकर।

माननीय न्यायालय,

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्नप्रकार

प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

॥ यह कि रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ अपलीय न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व संहिता


Handwritten signature and initials at the bottom left.

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4048-एक/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.बी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	